"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 465] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 जून 2025 — ज्येष्ठ 12, शक 1947

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 जून 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 20-58/2024/11/6.— चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य के औद्योगिक विकास को अधिक गति देने के लिए, आबंटन के प्रावधानों को संशोधित करना लोकहित में आवश्यक है,

अतएव् राज्य शासन, एतद् द्वारा, इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 20-21/2016/11/(6) दिनांक 15-03-2015 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015" में, इन नियमों के नियम 3.15 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निम्नानुसार अग्रतर संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. कंडिका 2.7 के प्रथम पैरा एवं इसके परंतुक के स्थान पर निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए,-

''2.7.1 (1) विभाग/उद्योग संचालनालय/सीएसआईडीसी के अधीन विकसित एवं विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्र/नियंत्रित औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों, इनमें व्यवसायिक प्रयोजन की भूमि/क्षेत्र अथवा अन्य भूखंड/भूमि/ शेड/प्रकोष्ठ का आबंटन इस हेतु निर्धारित डिजिटल प्लेटफोर्म पर ऑनलाईन ई-निविदा (ई-टेंडर) अथवा ई-नीलामी (ई-ऑक्शन) प्रक्रिया के माध्यम से परिशिष्ट-7 के अनुसार की जायेगी।

(2) विभाग/उद्योग संचालनालय/सीएसआईडीसी के अधीन लैण्ड बैंक की भूमि का आबंटन ऑनलाईन प्रक्रिया से ''पहले आओ, पहले पाओ'' के आधार पर किया जायेगा। आबंटन हेतु आवेदक को ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा आवेदन शुल्क एवं प्रस्तावित भूखण्ड के लिये अपेक्षित प्रब्याजि का 10 प्रतिशत राशि जमा करना होगा। जमा राशि पर कोई व्याज देय नहीं होगा। लैण्ड बैंक की भूमि ऑनलाईन प्रदर्शित होने के 7 दिवस पश्चात आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकेंगे। एक ही दिन में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आबंटन इस हेतु निर्धारित डिजिटल प्लेटफोर्म पर ऑनलाईन ई-निविदा (ई-टेंडर) अथवा ई-नीलामी (ई-ऑक्शन) प्रक्रिया के माध्यम सेपरिशिष्ट-7 के अनुसार की जायेगी। प्रक्रिया की शेष शर्त परिशिष्ट-7 के अनुसार होंगे।

(3) ई-निविदा (ई-टेंडर) या ई-नीलामी (ई-ऑक्शन) के अतिरिक्त, किसी उद्यम के अधिपत्य की भूमि से संलग्न शासकीय भूमि का, उस उद्यम के पक्ष में आबंटन अन्य विधियों, उपलब्धता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, कंडिका 3.3 के अनुसार किया जा सकेगा।''

2. कंडिका 2.7.3 की प्रविष्टि का लोप किया जाए।

3. कंडिका 2.7.4 के स्थान पर निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए,-

''2.7.4 (1) लैण्ड बैंक एवं औद्योगिक क्षेत्र से भिन्न शासकीय भूमि, जो औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयुक्त है एवं जिसे लैण्ड बैंक या औद्योगिक क्षेत्र में शामिल करने के लिये कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, हेतु आवेदक ऑनलाइन पोर्टल पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के साथ आवेदन कर सकेगा।

(2) आवेदन के साथ भूमि के खसरों का विवरण न होने की स्थिति में, संचालक/ आयुक्त उद्योग द्वारा आवेदक को भूमि के विकल्प उपलब्ध कराये जायेंगे, जिस पर उस दिनांक तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदक को उन विकल्प में से विकल्प का चयन अधिकतम 30 दिवस में करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन निरस्त माना जाएगा।

(3) आवेदन के साथ भूमि के खसरों के विवरण होने की स्थिति में, संचालक/आयुक्त उद्योग द्वारा आवेदन का परीक्षण आबंटन के लिये ऑन-लाईन प्रक्रिया से आवेदन की दिनांक अनुसार ''पहले आओ, पहले पाओ'' के आधार पर किया जाएगा। सैद्धांतिक सहमति की स्थिति में आवेदक द्वारा भूमि प्रब्याजी का 10 प्रतिशत जमा करने के पश्चात उद्योग विभाग द्वारा आवंटन हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी। उद्योग विभाग को जमीन आवंटन पश्चात शेष राशि जमा करने पर भूमि आवेदक को इस नियम के अंतर्गत पट्टे पर प्रदाय की जाएगी। अगर आवंटन 1 वर्ष के भीतर पूर्ण नहीं होता है तो यह प्रक्रिया स्वमेव निरस्त हो जाएगी एवं राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

(4) भूमि आवंटन में विलम्ब अथवा आवंटन प्रक्रिया निरस्त हो जाने की स्थिति में, संचालक/आयुक्त उद्योग आवेदक को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।''

4. कंडिका 2.8.1 के खण्ड (अ) की प्रविष्टि का लोप किया जाए।

5. कंडिका 2.8.1 के खण्ड (स) की प्रविष्टि का लोप किया जाए।

6. कंडिका 2.8.2 की प्रविष्टि का लोप किया जाए।

7. कंडिका 2.8.3 की प्रविष्टि का लोप किया जाए।

8. कंडिका 2.13 में निम्नानुसार परंतुक जोड़ा जाये,-

''परंतु दिनांक 02 जून, 2025 के पूर्व के पट्टेदारों को ही इस नियम के अंतर्गत फ्री-होल्ड कराने का अधिकार होगा।''

9. अध्याय 4 में संलग्न अनुसार परिशिष्ट-7 जोड़ा जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

परिशिष्ट-7

(नियम 2.7 एवं 2.8 देखें)

आबंटन प्रक्रिया

1. निर्धारित डिजिटल प्लेटफोर्म पर ऑनलाईन ई-निविदा अथवा ई-ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से आबंटन प्राधिकारी के द्वारा आबंटन प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाएगा।

2. इस हेतु 21 दिवस से अन्यून अवधि की आम सूचना विभाग एवं सीएसआईडीसी के वेबसाईड पर जारी की जाएगी। आम सूचना में उपलब्ध स्थान/भूखंड/भूमि/क्षेत्र की जानकारी, ऑफसेट प्रब्याजी, भू-भाटक, संधारण शुल्क व अन्य देय राशियों/दर का उल्लेख किया जाएगा।

3. ई-निविदा (ई-टेंडर) या ई-नीलामी (ई-ऑक्शन) के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों से पात्र आवेदक का चयन किया जायेगा। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उच्चतम दर के आधार पर चयन किया जायेगा। एकमात्र पात्र आवेदन होने की स्थिति में भी आबंटन किया जा सकेगा।

4. चयन के पश्चात मांग पत्र, आशय पत्र, आबंटन आदेश एवं पट्टा/किराया विलेख निष्पादन के उपरांत भूमि आधिपत्य प्रदान करने पर प्रक्रिया पूर्ण मानी जावेगी। आबंटन प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं को निर्धारित पोर्टल पर अपलोड भी कराया जावेगा।

5. आबंटन अंतर्गत निर्धारित प्रब्याजी का 1 प्रतिशत सुरक्षा निधि के रूप में लिया जायेगा ।

6. प्रत्येक माह के पहली एवं सोलहवीं तारीख को, एवं उक्त तारीख को शासकीय अवकाश होने पर आगामी कार्यदिवस में, लैण्ड बैंक एवं औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध भूमि का ब्यौरा निर्धारित वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

7. आबंटन प्राधिकारी आबंटन की प्रक्रिया में प्रवृत्त विधियों एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगा।

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.